ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBBIL/2014/66218 PP. NO.- 180-181

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-11, No.-II, Issues-14 YEAR- Dec. -2019

बालक का सामाजिक विकास एवं बाल अपराध

शिखा श्रीवास्तव

असि. प्रोफेसर– मनोविज्ञान विभाग, श्री सुदृष्टि बाबा पी.जी. कालेज, सुदिष्टपुरी, रानीगंज– बलिया (उ.प्र.)भारत

Received- 12.12. 2019, Revised- 16.12.2019, Accepted - 20.12.2019 E-mail: rksharpur2@gmail-com

सारांश : *व्यक्ति को सामाजिक प्राणी कहा गया है, किंतु जन्म के समय वह सामाजिक नहीं होता। शिक्षा द्वारा ही उसका सामाजिक विकास होता है, इसलिए शिक्षा को समाजीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। शारीरिक और मानसिक विकास के साथ धीरे–धीरे उसका सामाजिक विकास और साथ–साथ उसकी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तथा व्यक्ति को समाज में अपने को भली –भाँति समायोजित करने के लिए समाज द्वारा बनाए गए नियम और मान्यताओं का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। व्यक्ति जब समाज के नियम और मान्यताओं के विपरीत कार्य करता है, तो उसे दोषी अपराधी कहा जाता है। अपराधों का वर्गीकरण आयु के आधार पर भी किया गया है। बालकों द्वारा किए गए समाज विरोधी कार्यों या अपराधों को बाल अपराध या किशोर अपराध कहते हैं।*

कुंजी शब्द– सामाजिक प्राणी, बाल अपराध, आयु सीमा, वर्गीकरण, समायोजित, मानसिक विकास, मान्यताओं।

सामाजिक विकास – सामाजिक विकास उस प्रक्रिया से है, जिसके द्वारा वह सामाजिक परंपराओं और रश्मों के अनुसार व्यवहार करता है तथा अन्य लोगों से सहयोग करना सीखता है। समाज में रहकर ही वह अपनी समस्त आवश्यकताओं को पूरा करता है और अपनी जन्मजात प्रवृत्तियों और योग्यताओं का विकास करता है। उसका समस्त शक्तियों का विकास तथा आचरण व्यवहार का परिमार्जन और सामाजिक गुणों का विकास समाज और पर्यावरण में ही संभव है। समाज में रहकर वह दूसरों से संपर्क स्थापित करता है और धीरे–धीरे समाजिक आदर्शों तथा प्रतिमानों का अनुकरण करना सीखता है। इस प्रकार सीखने और समायोजन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। सामाजिकता के विकास से बालक में समायोजन की क्षमता उत्पन्न होती है।

हरलाँक का कथन है कि – ''सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता को प्राप्त करना है।''

सोरेन्सन के कथनानुसार – ''सामाजिक और अभिवृद्धि और विकास का तात्पर्य है – अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए योग्यता विधि।''

राँस ने कहा है कि – ''सहयोग करने वाले लोगों में ''हम भावना'' का विकास और उनके साथ काम करने की क्षमता का विकास तथा संकल्प समाजीकरण कहलाता है।''

बाल अपराध – समाज के मान्य नियमों का उल्लंघन करना अपराध है। वयस्कों द्वारा किए गए, इस प्रकार के कार्यों को अपराध कहा गया है।

इलियट मेरिल कथनानुसार – ''अपराध एक कार्य है, जो कानून द्वारा वर्जित है, जिसके कर्ता को मृत्युदंड, जुर्माना, जेल, श्रमालय या सुधार– गृह में बंद जीवन व्यतीत करने के लिए दंड दिया जा सकता है।'' अपराध करने वाले व्यक्तियों को न्यायालय द्वारा कानून के अनुसार, दंड दिया जाता है, किंतु बाल अपराधियों को सुधार संस्थाओं के माध्यम से सुधारने का प्रयत्न किया जाता है। बालकों द्वारा किए गए, सामाजिक या अवैधानिक कार्य व्यवहार को बाल अपराध कहा जाता है।

1. डॉ. सेथना के अनुसार– ''बाल अपराध में एक स्थान विशेष पर उस समय लागू कानून द्वारा निर्धारित एक निश्चित आयु के बालक व युवक, व्यक्ति द्वारा किए गए अनुचित कार्य सम्मिलित है।''

2. हिली के शब्दों में – ''वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता, अपराधी कहा जाता है।''

3. मार्टिन न्यूमेयर के कथनानुसार –''जो समाज विरोधी व्यवहार व्यक्तिगत या सामाजिक विघटन द्वारा करता है, वह बाल अपराध कहा जा सकता है।''

बाल अपराध के कारण – व्यक्तिगत कारण, आनुवंशिक कारण, शारीरिक दोष, सामाजिक कारण।

पारिवारिक परिस्थितियां – भग्न परिवार, माता–पिता द्वारा उपेक्षा, माता–पिता का चरित्र व आचरण, अपराधी क्षेत्र, बुरी संगत, मनोरंजन, विद्यालय का वातावरण, सामाजिक विघटन।

मनोवैज्ञानिक कारण– मानसिक हीनता या दुर्बलता, मानसिक रोग, संवेगात्मक संघर्ष और अस्थिरता, आर्थिक कारण, निर्धनता।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. मालती सारस्वत, शिक्षा मनोविज्ञान की रूपरेखा, आलोक प्रकाशन, लखनऊ – इलाहाबाद।

अनुरूपी लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-11, No.-II, Issues-14 YEAR- Dec. -2019

2. डॉ. एल.बी बाजपेई, शिक्षा में नवाचार एवं तकनीकी, आलोक प्रकाशन, लखनऊ – इलाहाबाद।
3. प्रो. एस. एल. गौतम, तुलनात्मक शिक्षा, आलोक प्रकाशन, लखनऊ – इलाहाबाद।
4. एल.एन. मिश्रा, शिक्षा तकनीकी, आलोक प्रकाशन, लखनऊ – इलाहाबाद।
5. डॉ. आशा अग्रवाल, विशिष्ट बालक, आलोक प्रकाशन, लखनऊ – इलाहाबाद।

*****